झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

–:: अधिसूचना ::–

राँची, दिनांक–

संख्या–15/सा०अव०–03–01/2018 का०–............/ झारखंड राज्य में नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन, 2018 के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड, राँची के पत्रांक–668, दिनांक–03.04.2018 के द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित हैं:–

(क) मतदान के दिन अर्थात् 16.04.2018 को संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।

(ख) कभी–कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर नगर निकाय क्षेत्र में निवास करता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता भी हो, परन्तु वह नगर निकाय क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो या अपनी सेवाएँ दे रहा हो, तो उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वैसे कामगार जो Casual worker के रूप में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के संस्थान, प्रतिष्ठान आदि में कार्यरत हैं, एवं यदि वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, तो उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590(3)(क) के तहत सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जाएगी।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) के अनुसार Daily Wage/Casual Workers को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) एवं राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पत्रांक–668, दिनांक–03.04.2018 द्वारा संसूचित दिशा–निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/सा०अव०–03–01/2018 का०– 2459 **/राँची, दिनांक–** 11.4.18

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

11/04/18
सरकार के उप सचिव